कार्यालय जिला पंचायत सिवनी (म0प्र0)

//आदेश//

क्रमांक/6423/पंचा0प्रको0/2025 सिवनी, दिनांक 06/02/2025

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज0पं0 छपारा के पत्र क्रमांक/855/स्था./ज.पं./छपारा दिनांक 15/07/2024 के अनुसार लेख किया गया कि ग्राम पंचायत गंगई रैयत जनपद पंचायत छपारा के सरपंच एवं ग्रामवासियों द्वारा जन सुनवाई मे प्रस्तुत शिकायत की जांच जनपद स्तरीय जांच दल से कराई गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार कु0 शिवानी सिहोतिया, सचिव ग्राम पंचायत–गंगई रैयत, जनपद पंचायत छपारा द्वारा ग्राम पंचायत कि बैठक समय पर नहीं लिया जाना, साप्ताहिक बाजार की नीलामी नही किया जाना तथा ग्राम पंचायत मुख्यालय मे ना रहने से शासकीय कार्य प्रभावित होना पाया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत छपारा द्वारा कु0 शिवानी सिहोतिया, सचिव ग्राम पंचायत–गंगईरैयत के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। कार्यलयीन पत्र क्रमांक/2134/पंचा. प्रको./2024 दिनांक 26/07/2024 के अनुसार कु0 शिवानी सिहोतिया, सचिव ग्राम पंचायत गंगई रैयत को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया। जिसका जवाब संबंधित द्वारा दिनांक 29/07/2024 को प्रस्तुत किया गया। जिसकी समक्ष सुनवाई कार्यालय जिला पंचायत सिवनी में दिनांक 08/08/2024 को की गई। इसी प्रकार शिकायतकर्ता श्री गोविंद सिरसाम द्वारा ग्राम पंचायत गंगई रैयत द्वारा जनसुनवाई मे आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से राशि लिये जाने कि शिकायत की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत छपारा के पत्र क्रमांक/2066/स्था./2024 छपारा, दिनांक 10/12/2024 अनुसार कु0 शिवानी सिहोतिया सचिव ग्राम पंचायत गंगई रैयत द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार आवास योजना के हितग्राही से राशि लिये जाने की पुष्टि की गई है। शिकायतकर्ता श्रीमति गनपति बाई पति स्व. करनदेव वंशकार, ग्राम–गंगईरैयत द्वारा भी दिनांक 4.2.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि आवेदिका के पति की मृत्यु के उपरांत उन्हें संबल योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा आज दिनांक तक लाभान्वित नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार यह समाधान हो गया है कि कु0 शिवानी सिहोतिया सचिव ग्राम पंचायत गंगई रैयत ज0पं0 छपारा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, संबल योजना एवं अपने पदीय कर्तव्यों, दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई है।

अतः म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के प्रावधान अंतर्गत कु0 शिवानी सिहोतिया सचिव, ग्राम पंचायत गंगई रैयत, ज0पं0 छपारा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत–छपारा निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। श्री बलराम डहेरिया, सचिव, ग्राम पंचायत–कौड़ियामाल, ज.पं. छपारा को आगामी आदेश पर्यन्त अपने कार्य के साथ–साथ सचिव, ग्राम पंचायत–गंगईरैयत, ज.पं. छपारा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

5/2/25

(पवार नवजीवन विजय) IAS
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सिवनी

पृ क्रमांक/6423-A/पंचा0प्रको0/2025 सिवनी, दिनांक 06/02/2025

प्रतिलिपी :–

1. कलेक्टर ,जिला सिवनी की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत–छपारा की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित सचिव के विरूद्ध आरोप पत्र तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
3. सरपंच/सचिव/ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत–गंगईरैयत/कौड़ियामाल, ज0पं0 छपारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कु0 शिवानी सिहोतिया, निलंबित सचिव ग्राम पंचायत गंगई रैयत ज0पं0 छपारा को पालनार्थ।
5. श्री बलराम डहेरिया, सचिव, ग्राम पंचायत–कौड़ियामाल, ज.पं. छपारा को पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सिवनी

Scanned with ACE Scanner